फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, जिला झुन्झुनूं

बनाम

शीशराम पुत्र बनवारी लाल, जाति माली, निवासी वार्ड न0 17, खेतड़ी, थाना खेतड़ी, जिला झुन्झुनू

प्रार्थना पत्र राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 मु.न. 06/ 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.10.2020	यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 की उपधारा 2 के खण्ड (ख), उपखण्ड (5) राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। इस्तगासा दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 3/11/2020 को पेश हो। [signature] 06/10/2020 **अति.जिला कलक्टर, झुंझुनू**	
3/11/2020	पत्रावली पेश हुई। अभियोजन अधिकारी उप.। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी गैर सायल दिनांक 6-11-20 को पेश हो।	
6-11-20	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब राजकार्य मे व्यस्त। पुलिस थाना खेतड़ी से थानाधिकारी द्वारा गैर सायल की मृत्यु होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 12/11/20 को पेश हो। [signature]	
12/11/20	पत्रावली पेश हुई। थानाधिकारी पुलिस थाना खेतड़ी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल शीशराम की मृत्यु हो चुकी है। गैर सायल का मृत्यु प्रमाण पत्र रिपोर्ट के साथ संलग्न है। जिसके अनुसार गैर सायल की मृत्यु दिनांक 12.09.20 को हुई है। ऐसी स्थिति मे गैर सायल की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध क्रियाधीन धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दर्ज रजिस्टर ... काम हो। तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature] अति. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.11.12 15:18:41 IST
Reason: SelfAttested